न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

राजस्व वाद संख्या 42/2024

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
हेम कंवर पत्नी बनेसिंह जाति राजपुत, निवासी मोढा तहसील फतेहगढ, जिला जैसलमेर		1 अमृतसिंह पुत्र नखतसिंह जाति पुरोहित निवासी लखा, तहसील फतेहगढ, जिला जैसलमेर 2 अमरसिंह पुत्र सगतसिंह जाति राजपुत निवासी काने का गांव, तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3 कमलाकंवर पत्नी कमलसिंह जाति राजपुत निवासी बान्दरा, तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 4 देरावरसिहं पुत्र सगतसिंह 5 प्रतापकंवर पुत्री सगतसिंह जाति राजपुत निवासी काने का गांव, तहसील शिव, जिला बाड़मेर 6 मगसिंह पुत्र नखतसिंह जाति पुरोहित निवासी लखा, तहसील फतेहगढ, जिला जैसलमेर 7 मायाकंवर पत्नी देरावरसिंह जाति राजपुत निवासी काने का गांव, तहसील शिव, जिला बाड़मेर 8 सुजानसिंह उर्फ सोढसिह पुत्र सुजानसिंह जाति पुरोहित निवासी लखा, तहसील फतेहगढ, जिला जैसलमेर 9 सादुलाराम पुत्र हुकमाराम जाति कुमावत निवासी काने का गांव, तहसील शिव, जिला बाड़मेर 10 शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा शिव 11 राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता वादीनी :– श्री बृजमोहन कुमावत।
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 6, 8 व 9 :– श्री जेठाराम कुमावत।
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5 व 7 :– श्री ईश्वरसिंह भाटी।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 07.05.2026

उभयपक्ष अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादी अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1, 6, 8 व 9 के अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5 व 6 के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करते हुए उक्त विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त अनुसार नहीं होने तथा भूमि की गुवणवता अनुसार नहीं होने व एकतरफा तैयार होने से पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का निवेदन किया गया। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि समस्त रेकर्डेड खातेदारान् को पूर्व मे विधिवत नोटिस भेजकर बाद सूचना विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिससे पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5 व 6 के अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे स्पष्ट हो सके कि विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त अनुसार नहीं हो अथवा भूमि की गुणवता प्रभावित हो। लिहाजा उक्त स्थिति में प्रतिवादीगण अधिवक्ता की आपत्ति को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार होने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता को स्वीकार होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल स्वामी का गांव के ग्राम काने का गांव के खेत खसरा [illegible]/196 रकबा 24.3054 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी घोषित की जाती है –

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 19:01:02 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	[illegible]
1	हेमकंवर पत्नी बनेसिंह जाति राजपुत सा. मोढा खातेदार रहन BOB शाखा शिव	काने का गांव	249/196	6.5620	बा.सो.	–	[illegible]

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

	मृतसिंह, मगसिंह, सुजानसिंह उर्फ सोढसिंह पि0 नखतसिंह हि. प्रत्येक 1/3 जाति पुरोहित सा. लखा खातेदार	काने का गांव	249/196	4.4895	बा.सो.	–	हरा
3	सादुलाराम पुत्र हुकमाराम जाति कुमावत सा. देह खातेदार	काने का गांव	249/196	3.001	बा.सो.	–	भूरा
4	अमरसिंह पुत्र सगतसिंह 236/3003, कमलाकंवर पत्नी कमलसिंह 563/3003, देरावरसिंह पुत्र सगतसिंह 68/3003, प्रतापकंवर पुत्री सगतसिंह 856582/17378361, प्रेमसिंह पुत्र सवाईसिंह 809/121527, मानसिंह पुत्र शैतानसिंह 809/121527, मायाकंवर पत्नी देरावरसिंह 64/1001 जाति राजपुत, सा. देह खातेदार रहन अमरसिंह का हिस्सा SBI शाखा शिव	काने का गांव	249/196	9.9787	बा.सो.	–	नीला
5	सामलाती खाता बदस्तुर जमाबंदी अनुसार	काने का गांव	249/196	0.2742	बा.सो.	–	काला

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 07.05.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 19:01:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner